रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 397] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 23, 2017/ ज्येष्ठ 2, 1939
No. 397] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 23, 2017/ JYAISTHA 2, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2017

सा.का.नि. 496(अ)--भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 11 जनवरी, 2017 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 19(अ), तारीख 11 जनवरी, 2017 द्वारा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 30 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (श्वान प्रजनन और विपणन) नियम, 2016 का प्रारूप प्रकाशित किया गया था ;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां 11 जनवरी, 2017 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 39 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (श्वान प्रजनन और विपणन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं--(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) अभिप्रेत है ;

(ख) "पशु कल्याण संगठन" से ऐसा कल्याण संगठन अभिप्रेत है जो बोर्ड द्वारा पशुओं के लिए मान्यताप्राप्त है और जिसमें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण करने के लिए स्थापन और सोसाइटियों का विनियमन) नियम, 2001 के अधीन किसी जिले में स्थापित पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटी भी सम्मिलित है ;

(ग) "प्रजनक" से कोई व्यष्टि या व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है जो प्रजनन और श्वान तथा पिल्लों के विक्रय के लिए विनिर्दिष्ट नस्लों के निजी श्वान रखता है और जिसमें श्वान गृह भोजन व्यवस्थापक प्रचालक, मध्यवर्गी संचालक और व्यापारी सम्मिलित हैं ;

(घ) "श्वान गृह भोजन व्यवस्थापक प्रचालक" जिसमें कोई व्यष्टि या व्यक्तियों का समूह सम्मिलित है जहां श्वानगृह या किसी अन्य स्थापन में अस्थायी रूप से स्थानन के लिए पालतू श्वान और पिल्लों को रखा जाता है;

(ङ) "वाहक" से ऐसा कोई एयरलाइन, वायुयान, रेल पथ, मोटर वाहक, पोत परिवहन लाइन या अन्य उद्यम अभिप्रेत है जो किराए पर पशुओं के परिवहन के कारबार में लगा हुआ है;

(च) "रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" से इन नियमों के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र है;

(छ) "श्वान" में पिल्ले सम्मिलित हैं;

(ज) "मध्यवर्ती प्रबंधक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो पशुओं की उनके विक्रय या क्रय के दौरान अंतरिम अभिरक्षा के लिए ग्रहण करता है,;

(झ) "निरीक्षक" से राज्य पशु कल्याण बोर्ड द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है:

परंतु कोई व्यक्ति, जो पालतू पशु दुकान का मालिक या प्रजनक है या रह चुका है या पालतू पशु दुकान मालिक या प्रजनक से संबंधित रहा है, इन नियमों के अधीन निरीक्षक के रूप में प्राधिकृत नहीं किया जाएगा;

(ञ) "राज्य बोर्ड" से राज्य सरकार द्वारा राज्य में गठित राज्य पशु कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है;

(ट) "व्यापारी" में कोई व्यष्टि या व्यक्तियों का समूह सम्मिलित है जो किसी प्रजनक या पालतू पशु की दुकानों से या अपने या उनकी अपनी प्रजनन सुविधा से या विक्रय के लिए आयातित या किसी अन्य रीति में प्राप्त किए गए श्वानों और पिल्लों का विक्रय करता है ;

(ठ) "पालतू पशु दुकान" से ऐसा दुकान, स्थान या परिसर अभिप्रेत है जिसमें साप्ताहिक या अन्य बाजार में कोई दुकान, स्थान या परिसर सम्मिलित है जहां पालतू पशुओं को विक्रय किया जाता है या ठहराया या रखा या विक्रय के लिए प्रदर्शित किया जाता है या जहां कोई खुदरा या थोक कारबार जिसमें पालतू पशुओं का विक्रय या व्यापार किया जाता है, सम्मिलित है ;

(ड) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ढ) "पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण के लिए सोसाइटी (एस पी सी ए)" से इस अधिनियम के अधीन पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण करने के लिए स्थापन और सोसाइटियों का विनियमन) नियम, 2001 के अधीन स्थापित एस पी सी ए अभिप्रेत है ;

(ण) "पशु चिकित्सा व्यवसायी" से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो इनका उस अधिनियम में है।

3. बिना रजिस्ट्रीकरण के श्वानों के प्रजनन का प्रतिषेध--(1) कोई प्रजनक अपने श्वानों या रखे हुए श्वानों के प्रजनन के लिए और श्वानों तथा पिल्लों के विक्रय के लिए किसी प्रजनन क्रियाकलापों को नहीं करेगा और न ही जारी रखेगा जब तक प्रजनक ने प्रयुक्त किए जाने वाले या उसके द्वारा श्वानों के प्रजनन या प्रजनन के लिए रखे जाने के लिए आशयित स्थापन के संबंध में इन नियमों के अनुसरण में बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लिया हो।

(2) प्रत्येक प्रजनक स्थापन में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा।

(3) प्रत्येक प्रजनक अपने द्वारा प्रजनन के लिए या श्वानों के प्रजनन कराने के लिए या विक्रय के लिए प्रयुक्त स्थापन को राज्य बोर्ड द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखेगा।

4. प्रजनक और स्थापन का रजिस्ट्रीकरण--(1) कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन प्रजनक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि,-

(क) व्यष्टि की दशा में, उसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो और स्वस्थ चित्त हो तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संविदा करने के लिए निरर्हित न हो; और

(ख) किसी अन्य दशा में, व्यक्ति, निगम, कंपनी या व्यक्तियों का संघ है तो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत हो ।

(2) प्रयुक्त प्रजनन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन जो उसके द्वारा प्रजनन या प्रजनन के लिए रखे श्वानों के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के आशय से स्थापन के संबंध में है, पहली अनुसूची से संलग्न प्ररूप-I में, उससे अपेक्षित सभी सूचनाओं को देते हुए और पांच हजार रुपए के गैर-प्रतिदाय वाली शुल्क सहित राज्य बोर्ड को करेगा ।

(3) प्रजनक से श्वानों के प्रजनन या श्वानों की प्रजनन के लिए रखे जाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले या प्रयोग किए जाने से आशयित प्रत्येक स्थापन के लिए पृथक्-पृथक् आवेदन करना अपेक्षित होगा ।

(4) राज्य बोर्ड, उपनियम (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन की प्राप्ति पर प्रजनक के स्थापन का निरीक्षण राज्य बोर्ड के प्राधिकृत प्रतिनिधि और पशु चिकित्सा व्यवसायी सहित एक टीम द्वारा निरीक्षण कराएगा ।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट टीम निरीक्षण के पश्चात् राज्य बोर्ड को टीम के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(6) राज्य बोर्ड, उपनियम (5) के अधीन प्रस्तुत टीम की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और समाधान होने पर कि प्रजनक और स्थापन इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करते हैं तो उस स्थापन और पहली अनुसूची से संलग्न प्ररूप-II में रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में प्रजनक को रजिस्टर करेगा । तथापि, राज्य बोर्ड स्थापन में उपलब्ध स्थान सुविधाओं और जनशक्तियों को ध्यान में रखते हुए अतिभीड़ से बचने के लिए प्रत्येक श्वान प्रजनन स्थापन के लिए न्यूनतम हैसियत धारिता नियत करेगा ।

(7) राज्य बोर्ड, किसी स्थापन के संबंध में रजिस्टर नहीं करेगा, यदि,-

(क) प्रजनक द्वारा प्रस्तुत कोई सूचना असत्य पाई जाती है या आवेदन में सार रूप से और जानबूझ कर असत्य कथन किया गया है या राज्य बोर्ड को मिथ्याकृत या गढ़े हुए अभिलेख प्रदान किए गए हैं ; या

(ख) प्रजनक रजिस्ट्रीकरण के लिए अपने आवेदन को प्रस्तुत करने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में अधिनियम या वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पशुओं से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध है; या

(ग) प्रजनक निरीक्षण टीम को स्थापन के खुले और निर्बाध निरीक्षण के लिए अनुमति नहीं देता है; या

(घ) प्रजनक नियम 6 के अधीन अधिकथित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है ।

(8) जहां राज्य बोर्ड प्रजनक को उसके स्थापन के संबंध में रजिस्टर नहीं करता है, वहां राज्य बोर्ड द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर राज्य बोर्ड उसके कारणों को प्रजनक को लिखित में सूचित करेगा ।

(9) राज्य बोर्ड द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र दो वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और राज्य बोर्ड को पांच हजार रुपए की फीस के साथ किए गए आवेदन पर उसका नवीकरण किया जा सकेगा ।

(10) इन नियमों के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र गैर-हस्तांतरणीय होगा ।

(11) ऐसे स्थापनों को, जो पशुओं पर प्रयोगों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए, अधिनियम की धारा 15 में निर्दिष्ट, समिति के साथ रजिस्ट्रीकृत है और जो पशुओं पर प्रयोग, उनके प्रजनन और व्यापार के प्रयोजन के लिए पशुओं पर प्रयोग और उनके प्रजनन (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) नियम, 1998 के कार्यक्षेत्र के अधीन आते हैं, उपरोक्त नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त होगी ।

5. रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण--(1) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन रजिस्ट्रीकरण के अवसान से कम से कम तीस दिन पहले पहली अनुसूची में संलग्न प्ररूप-I में राज्य बोर्ड को करेगा और नियम 4 के उपबंध परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(2) राज्य बोर्ड, स्थापन के संबंध में प्रजनक के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण नहीं करेगा जब तक राज्य बोर्ड टीम की रिपोर्ट पर विचार कर समाधान कर लेता है कि प्रजनक और स्थापन नियम 6 और दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करता है ।

6. प्रजनक और प्रजनन के लिए रखे गए श्वानों या प्रजनन के लिए प्रयुक्त स्थान द्वारा अपेक्षाओं का पूरा किया जाना--प्रजनक दूसरी अनुसूची में बताए गए मानकों और अपेक्षाओं को पूरा करेगा ।

7. स्थापनों का निरीक्षण--(1) राज्य बोर्ड, शिकायत के प्राप्त होने पर या किसी अन्य कारण से प्रजनक के किसी स्थापन का, इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत निरीक्षक द्वारा निरीक्षण करा सकेगा ।

(2) निरीक्षक को, अपना प्राधिकार प्रस्तुत करने पर,--

(क) किसी युक्तियुक्त समय पर स्थापन में प्रवेश और स्थापन में सभी क्षेत्रों पर पहुंच कर तथा सभी पशुओं और अभिलेख क्या इन नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करता है, को विनिश्चित करने की,

(ख) चित्र लेने, वीडियो रिकार्ड करने, और अभिलेखों की प्रतियां बनाने की, शक्ति होगी ।

(3) इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रजनक का स्थापन प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार निरीक्षण करेगा ।

(4) निरीक्षक, राज्य बोर्ड को लिखित में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(5) यदि राज्य बोर्ड, उपनियम (4) में निर्दिष्ट रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह विचार रखता है कि इन नियमों की किसी अपेक्षा का प्रजनक द्वारा उल्लंघन किया गया है तो प्रजनक रिपोर्ट की प्रति देने के पश्चात् कारण बताने का अवसर देता है, उसके स्थापन की बाबत प्रजनक का रजिस्ट्रेशन अप्रतिसंहृत कर देगा और उसके कारण लिखित में उसको सूचित करेगा ।

8. विक्रय के लिए शर्त--(1) प्रत्येक प्रजनक यह सुनिश्चित करेगा कि –

(क) आठ सप्ताह से कम आयु के पिल्ले न विक्रय किए जाए ;

(ख) छह मास से अधिक आयु के श्वान बिना प्रथम विसंक्रमित किए नहीं बेचे जाएं जब तक कि वे दूसरे अनुज्ञप्ति धारक प्रजनक को नहीं बेचे जाने हैं ;

(ग) श्वान और पिल्ले परीक्षण में प्रयोग के लिए नहीं बेचे जाएं जब तक कि क्रयकर्ता अधिनियम की धारा 15 के अधीन गठित पशुओं पर परीक्षण के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिए समिति से रजिस्ट्रीकृत न हो :

परंतु क्रेता द्वारा केवल ऐसी प्रसुविधा को ही किया जाएगा, जो पशुओं पर प्रयोगों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन संबंधी समिति से रजिस्ट्रीकृत हो ;

(घ) केवल अच्छे स्वास्थ्य में श्वान, जिन्हें चिकित्सीय टीके लगाए जा चुके हैं, ही विक्रय किए जाएंगे ;

(ङ) प्रत्येक विक्रीत पिल्ले माइक्रोचिप युक्त है और उपचार और टीका दिए जाने का पूरा अभिलेख रखा जाए ;

(च) तुरंत विक्रय के प्रयोजन के लिए लोक स्थानों में पिल्ले प्रदर्शित न किए जाएं ; और

(छ) प्रत्येक क्रेता को विक्रय की रसीद दी जाए और उसकी प्रति विक्रीत पिल्ले के माइक्रोचिप संख्या और विक्रयकर्ता के नाम तथा फोन संख्या सहित रखी जाए ।

(2) प्रजनक क्रेता को पोषण के ब्यौरे, टीकाकरण की तारीख और पिल्लों में विकृमिकरण तथा पशु चिकित्सा व्यवसायी जिसने उसका उपचार किया है, का नाम और पता लिखित में देगा ।

(3) प्रत्येक प्रजनक संभावित क्रेताओं की नस्ल की उचित देखभाल करने की संभावना को, विशेषकर कोई बड़ी संभावना हो, उसकी देखभाल, समाजिकीकरण, स्थानिक और पशु चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता तथा उसके रखरखाव और भरणपोषण के लिए खर्च को वहन करने की क्षमता को अभिनिश्चित करने के लिए जांच परख करेगा ।

(4) कोई प्रजनक बिना किसी अनुज्ञप्ति के पालतू पशु दुकान चलाने वाले को विक्रय नहीं करेगा या कोई अन्य क्रियाकलाप नहीं करेगा, जो किसी अन्य विधि के उल्लंघन में है ।

(5) प्रजनक उत्पादित और विक्रीत सभी पिल्लों का ध्यान रखेगा और यह प्रजनक का दायित्व होगा कि उनकी प्रगति और उसके द्वारा बेचे सभी श्वानों के स्वास्थ्य की दशा का प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार जानकारी प्राप्त करें ।

(6) प्रत्येक प्रजनक छह मास की अवधि में विक्रीत न हुए पिल्ले को पुनर्वास बोर्ड या राज्य बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त पशु कल्याण संगठन के माध्यम से पुनर्वास करेगा ।

9. अभिलेख--(1) प्रत्येक प्रजनक स्थापन में रखे सभी पशुओं, जिसके अंतर्गत प्रजनन के लिए रखे श्वान और विक्रय के लिए श्वान तथा निरीक्षण के लिए रखे जाने वाले श्वान भी सम्मिलित है, के अभिलेख पहली अनुसूची से संलग्न प्ररूप III में रखेगा ।

(2) प्रत्येक प्रजनक हर श्वान दोनों नर और मादा का अभिलेख जिसमें निम्नलिखित सूचना भी सम्मिलित है, रखेगा, अर्थात् :-

(क) प्रजनन ;

(ख) नाम और संख्या (या लिटर सं.) ;

(ग) माइक्रोचिप सं. ;

(घ) लिंग, रंग और निशान ;

(ङ) जन्म की तारीख ;

(च) नाम और प्रजनक और मादा का माइक्रोचिप सं. ;

(छ) प्रजनक का नाम जिससे अर्जित किया गया है (जहां लागू हो) ;

(ज) व्यक्ति का नाम और पता, जिससे सीधे अर्जित किया गया है (जहां लागू हो) ;

(झ) अर्जित करने की तारीख ;

(ञ) पट्टे की तारीख और अवधि, यदि कोई हो ;

(ट) संगम की तारीख और स्थान ;

(ठ) संगम करने वाले व्यक्ति के नाम ;

(ड) श्वान का नाम और सं., जिसमें माइक्रोचिप सं., जिससे संगम हुआ सहित ;

(ढ) मालिक का नाम और पता (जहां लागू हो) ;

(ण) ब्याने की तारीख ;

(त) ब्याहे पिल्लों की संख्या, लिंग, रंग और निशान (थ) ब्याने का रजिस्ट्रीकरण सं., यदि कोई हो ;

(द) विक्रय की तारीख, प्रत्येक पिल्ले की मृत्यु या पुनर्वास वर्णन सहित ;

(ध) क्रेता का नाम और पता ;

(न) स्थापन में मृत प्रत्येक श्वान का पशु चिकित्सक द्वारा यथा अवधारित मृत्यु का कारण ; और

(प) कोई अन्य सूचना, जो बोर्ड या राज्य बोर्ड द्वारा सुसंगत हो ।

(3) प्रत्येक प्रजनक, विक्रय दस्तावेज, पट्टा बंदोबस्त, अण्डग्रन्थ्युच्छेदन या अकर्मक संविदाओं और श्वानों और पहली अनुसूची से संलग्नक प्ररूप-IV में उनके स्थापन में श्वानों से युक्त किसी अन्य संविदाओं का उपयोग स्पष्ट और संक्षिप्त में करेगा ।

(4) प्रत्येक प्रजनक प्रत्येक श्वान का पहली अनुसूची से संलग्नक प्ररूप-V में अलग-अलग टीकाकरण के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सीय अभिलेख रखेगा, चाहे वह नर या मादा हो तथा प्रत्येक छोटे श्वान या पिल्ले के, जो बेचा जाएगा, अभिलेख की प्रति क्रेता को प्रदान की जाएगी ।

(5) इन नियमों के अधीन प्रजनक द्वारा रखे सभी अभिलेख कम से कम आठ वर्ष की अवधि के लिए रखे जाएंगे जब तक कि राज्य बोर्ड अन्वेषण के प्रयोजन के लिए अधिक अवधि के लिए अभिलेख रखने के लिए लिखित में निर्देश न दे ।

10. अपील--(1) राज्य बोर्ड के विनिश्चय द्वारा व्यथित कोई प्रजनक विनिश्चय की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर सचिव, राज्य पशु पालन विभाग को अपील करेगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सचिव, प्रजनक और राज्य बोर्ड को सूचना देने के पश्चात् पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, अपील को, कारणों को अभिलिखित करके, मंजूर या नामंजूर करेगा तथा प्रजनक और राज्य बोर्ड को संसूचित करेगा ।

(3) यदि अपील की सुनवाई एक बार में कर ली जाती है और उसे नामंजूर करने पर प्रजनक स्थापन में सभी श्वानों की आयु छह मास से अधिक हो जाती है तो उन्हें किसी पशु जन्म नियंत्रक सुविधा पर बधिया (नपुंसक) कर दिया जाएगा और ऐसे सभी पिल्ले की, जिनकी आयु छह मास से कम है, उन्हें अंगीकरण के लिए पशु कल्याण संगठन को भेज दिया जाएगा, जिसका अभिलेख राज्य बोर्ड को भेजा जाएगा ।

11. प्रजनक द्वारा रिपोर्ट--(1) इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक प्रजनक,--

(क) प्रत्येक वर्ष के अंत में राज्य बोर्ड को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें कुल बेचे गए, व्यापार किए गए, बदले गए, दिए गए, पूर्व वर्ष के दौरान रखे गए या प्रदर्शित किए गए पशुओं की संख्या होगी ;

(ख) राज्य बोर्ड को, ऐसी अन्य जानकारी उपलब्ध कराएगा, जिसकी राज्य बोर्ड द्वारा, समय-समय पर, अपेक्षा की जाए ;

(2) राज्य बोर्ड, प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर एक समेकित रिपोर्ट, जिसमें पूर्व वर्ष में कुल विक्रीत, व्यापार किए गए, बदले गए, दलाली किए गए, दिए गए, रखे गए या प्रदर्शित किए गए पशुओं की संख्या होगी और ऐसी अन्य सूचना, जो बोर्ड द्वारा, यथास्थिति, समय-समय पर अपेक्षा की जाए ।

12. इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रजनक की मृत्यु का प्रभाव--इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रजनक की दशा में रजिस्ट्रीकरण की अवधि के अवसान से पहले मृत्यु होने पर स्थापन की बाबत रजिस्ट्रीकरण उस स्थापन की बाबत उसके विधिक

उत्तराधिकारियों को प्रदान कर दिया जाएगा और प्रजनक की मृत्यु की तारीख से तीन मास की अवधि के अंत तक प्रभावी रहेगा और उसके पश्चात् स्थापन की बाबत रजिस्ट्रीकरण के लिए नया आवेदन इन नियमों के अनुसार स्थापन को जारी रखने के लिए करेगा ।

13. रजिस्ट्रीकरण के बिना अनुज्ञप्ति नहीं--प्रजनन के लिए प्रजनन करने या रखे जाने वाले श्वानों के लिए प्रयोग किए जाने वाले या किए जाने से आशयित स्थापन को स्थानीय निकाय द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगा जब तक कि प्रजनक ने राज्य बोर्ड से इन नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया है ।

पहली अनुसूची

[नियम 4(2) और नियम 5(1) देखें]

प्ररूप I

किसी स्थापन की बाबत प्रजनक के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

राज्य पशु कल्याण बोर्ड,

---------- (राज्य का नाम)

विषय- स्थापन के संबंध में प्रजनक के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ।

महोदय,

मैं/हम ..... नि. ..... कार्यालय पते सहित ....) नीचे दी गई विशिष्टियों के अनुसरण में ..... स्थापन की बाबत प्रजनक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं :-

(1) आवेदक (प्रजनक का नाम और पता :

(2) स्थापन का नाम और पता :

(3) दूरभाषा संख्या :

(4) प्रस्तावित स्थापन पर उपलब्ध आवास और आधारभूत संरचना का ब्यौरा :

(5) कार्य दिवस और विश्राम दिवस जैसे जिस दिन स्थापन बंद रहेगा

(6) संवातन व्यवस्था

(7) प्रकश व्यवस्था :

(8) उष्मण या शीतलन व्यवस्था और रीति जिसमें सभी पालतू पशुओं के लिए सहज तापमान रहे :

(9) खाद्य भंडारण की व्यवस्था :

(10) स्वच्छता, पशुओं के मलमूत्र और अवशिष्ट के हजाने की व्यवस्था कैसे रखी जाएगी :

(11) मृत पशुओं के निस्तारण के लिए व्यवस्था :

(12) चिकित्सीय और पशु चिकित्सीय सहायता :

(13) स्थापन के प्रजनन के लिए प्रस्तावित श्वानों के ब्यौरे :

(क) प्रत्येक नस्ल के श्वान की नस्ल और संख्या :

(ख) श्वान की आयु :

(ग) आवास और पिंजड़ों और वार्डों की संख्या और आकार :

(14) प्रजनन क्रियाकलापों के संबंध में आवेदक (प्रजनक) की अर्हता और अनुभव :

(15) फीस के भुगतान का विवरण अथवा चैक और डिमांड ड्राफ्ट संख्या और ब्यौरे :

रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की दशा में अतिरिक्त ब्यौरे

(16) अर्जित और संगम कराए गए श्वानों के ब्यौरे :

क्र. सं.	श्वान की माइक्रोचिप सं.	अर्जन की तारीख	संगम की तारीख	किससे संगम कराया गया उसका माइक्रोचिप सं.	पैदा हुए पिल्ले (माइक्रोचिप सं.)

(17) मृत्यु, शव परीक्षण रिपोर्ट के कारणों सहित श्वानों और पिल्लों की संख्या और माइक्रोचिप संख्या :

(18) विक्रय किए गए श्वानों /पिल्लों के ब्यौरे :

क्र. सं.	विक्रय किए गए श्वान/पिल्ले (माइक्रोचिप सं.)	श्वान/पिल्लों की आयु	विक्रय की तारीख	विक्रय मूल्य	क्रेता का नाम, पता और दूरभाष सं.

(19) अविक्रीत पिल्लों की संख्या और उनके पुनर्वास की रीति :

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सही और सत्य है।

स्थान : **आवेदक के हस्ताक्षर**

तारीख :

प्ररूप II

[नियम 4(6) देखें]

श्वान प्रजनन केन्द्र का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

1. यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (श्वान प्रजनन और विपणन) नियम, 2017 में यथा विहित किसी श्वान प्रजनन केन्द्र स्थापित करने के लिए .....(आवेदक का नाम और पता) को दिया गया है।

2. प्रजनन केन्द्र का स्थान.....पर है।

3. श्वान प्रजनन केन्द्र का स्वामी निम्नलिखित श्वान नस्लों को बढ़ावा देने के लिए अनुज्ञप्त है।

4. श्वान प्रजनन केन्द्र का स्वामी पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) और इसके अधीन जारी नियमों और अधिसूचनाओं के उपबंधों द्वारा पालन करेगा।

5. श्वान प्रजनन केन्द्र का स्वामी पूर्वोक्त नियमों के नियम 11 के खंड (क) के अनुपालन में प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष के उत्तरवर्ती वर्ष के 31 जनवरी से पहले अधोहस्ताक्षरी को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

6. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दुकान में प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगा।

7. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनंतरणीय है।

8. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र.....तक विधिमान्य है और नवीकरण आवेदन इसके समाप्ति की तारीख से तीस दिन पहले प्रस्तुत करना होगा।

तारीख :

हस्ताक्षर और राज्य पशु कल्याण बोर्ड की मुद्रा

प्ररूप III

[नियम 9(1) देखें]

श्वानों और पिल्लों के प्रजनक/प्रदायकर्ता का रजिस्टर

क्रम सं.	प्रजनक/प्रदायकर्ता का नाम और पता	फोन नंबर और ई-मेल	संव्यवहार की तारीख
1	2	3	4

श्वान नस्ल का वर्णन	पशु की आयु	टीके के ब्यौरे	स्थापन में श्वान के नस्ल
5	6	7	8

श्वान नस्ल के माइक्रो-चिप	टिप्पणियां
9	10

प्ररूप IV

[नियम 9(3) देखें]

श्वानों / पिल्लों के विक्रय का रजिस्टर

क्रम सं.	क्रेता का नाम और पता	फोन नंबर	विक्रय रकम
1	2	3	4

विक्रीत श्वान का प्रकार						टिप्पणियां
प्रवर्ग या नस्ल	रंग	माइक्रो-चिप संख्या	लिंग	आयु	टीका	
5	6	7	8	9	10	11

प्ररूप V

[नियम 9(4) देखें]

श्वानों / पिल्लों के स्वास्थ्य और चिकित्सीय अभिलेख का रजिस्टर

क्रम सं.	वह तारीख जिसको पशु पर टीका लगाया गया था	पशु का लिंग	पशु की आयु
1	2	3	4

ब्याने के ब्यौरे, यदि कोई हों	क्रय या अन्यथा व्ययन की तारीख	उपलब्ध चिकित्सीय ध्यान	मृत्यु की दशा में पशु को कैसे निपटाया गया था	टिप्पणियां
5	6	7	8	9

दूसरी अनुसूची

[नियम 5(2) और नियम 6 देखें]

भाग 1

प्रजनक द्वारा स्थापन में प्रदान की जाने वाली सुविधाएं

1. उचित श्वान-घर या निवास स्थान – श्वान, हमेशा उचित श्वान-घर या निवास स्थान में सभी संदर्भों में उपर्युक्त रीति में रखे जाएंगे, जहां सन्निर्माण, आकार, श्वानों की संख्या, व्यायाम सुविधाएं, उचित तापमान, प्रकाश, संवातन और सफाई हो ।

2. पर्याप्त गृह – (1) पर्याप्त गृह जिसमें स्वच्छता संबंधी सुविधाएं, कठोर मौसम से संरक्षण, उचित संवातन और समुचित स्थान उपलब्ध होगा ।

(2) सभी आवास अपारगम्य सामग्री से बने होंगे जिसको स्वच्छ किया जा सके । इस प्रयोजन के लिए काष्ठ का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

3. आंतरिक आवास सुविधा – संस्थापन में आंतरिक आवास सुविधा के साथ पर्यावरण नियंत्रण, आवासन या श्वान घर से आशयित है और निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, अर्थात् :-

(i) यह कोठार या भवन में पूर्णतया संबद्ध दौड़ या बाड़ा से मिलकर या पूर्णतया संबद्ध भवन के अंतर्गत संलग्नित भीतर या बाहर दौड़ या बाड़ा से मिलकर बन सकेगा ;

(ii) उस प्रजाति को जिसके लिए परिसीमा निर्धारित की गई है वह गृह या संरचना तापमान भवन के अंदर, पशु की उम्र, आर्द्रता का स्तर बनाए रखने के लिए तथा गृह के अंदर शीघ्रता से दुर्गन्ध को हटाने के सक्षम होगा ;

(iii) एक इसकी अपारगम्य सतह होगी । अपारगम्य सतह से ऐसी सतह अभिप्रेत से है जो किसी तरल पदार्थ का अवशोषण अनुज्ञात नहीं करती है ;

(iv) यह एक ऐसा बाड़ा होगा जो अनवरत छत, फर्श और दीवारों से संयोजित होते हुए निर्मित होगा ;

(v) इसमें कम से कम एक प्रवेश और निकास होगा जो खोला और बंद किया जा सकता हो, जिसमें प्राकृतिक प्रकाश उपलब्ध हो, जो एक पारदर्शक पदार्थ जैसे, कांच या कठोर प्लास्टिक से आच्छादित होगा ।

4. श्वानों की देखरेख और अनुरक्षण – श्वानों को निम्नलिखित प्रदाय किया जाएगा –

(क) उचित अंतरालों में जो आठ घंटे से अधिक का नहीं होगा, पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्यप्रद भोजन और जो उस प्रजाति या उम्र के लिए पर्याप्त हो तथा प्रत्येक पशु के युक्तियुक्त पोषण स्तर बनाए रखे के लिए पर्याप्त हो तथा सुरक्षित पात्र, थाली या आधान में परोसा जाए; या

(ख) सुरक्षित पात्र, थाली या आधार में ताजा, स्वच्छ पीने के पानी की पर्याप्त आपूर्ति और प्रत्येक समय उपलब्ध होगा ; और

(ग) समुचित अभ्यास के लिए एक बाड़ायुक्त क्षेत्र या पट्टे के साथ कुत्ते के अभ्यास की व्यवस्था होगी ।

भाग 2

प्रजनकों द्वारा पालन की जाने वाली अपेक्षाएं

5. प्रजनन संबंधी अपेक्षाएं – (1) प्रजनक प्रत्युत्पादन, पोषण, संपूर्ण स्वास्थ्य और देखभाल, आरंभिक व्यवहार विकास और प्रजनन आचार का जानकार होगा ।

(2) केवल सामान्य, स्वस्थ, परिपक्व श्वान जो अठारह मास की हो गई हो, संवर्धित किया जाएगा तथा संवर्धन से कम से कम दस दिन पूर्व उसके स्वास्थ्य को किसी पशु चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा ।

(3) किसी मादा श्वान को लगातार दो प्रजनन काल में बच्चे देने के लिए शोषित नहीं किया जाएगा ।

(4) किसी मादा श्वान का इस तरह से उपयोग नहीं किया जाएगा कि वे पिछले पिल्लों को जन्म देने के दिन के पश्चात् बारह मास पूर्व पिल्लों को जन्म दे ।

(5) एक वर्ष में केवल एक ही बार पिल्ले पैदा करेगी । कृत्रिम या अप्रकृतिक तकनीकों अर्थात् कृत्रिम गर्भाधान और बलात्संग से ठहराव श्वानों में गर्भाधान कराने का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(6) किसी मादा श्वान को इस बात के लिए शोषित नहीं किया जाएगा कि वह अपने जीवनकाल के दौरान पांच बार पिल्ले पैदा करे ।

(7) श्वान को प्रजनन के लिए तब तक इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जब तक कि वह स्वस्थ, परिपक्वता और अठारह वर्ष की उम्र पूर्ण न कर ले तथा सहवास से कम से कम दस दिन पूर्व उसके स्वास्थ्य को पशु चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा ।

6. सामान्य प्रजनन तकनीक – (1) प्रजनक निम्नलिखित चार सामान्य प्रजनन तकनीक के जानकार हों, अर्थात् :-

(i) बाह्य प्रजनन ;

(ii) श्रेणी प्रजनन ;

(iii) अंतः प्रजनन ; और

(iv) अगम्यागमन प्रजनन ।

(2) पैरा (1) में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित दो प्रजनन तकनीकों को इस नियम के अधीन अनुमति और स्वीकृति प्रदान की गई है, अर्थात् :-

(i) बाह्य प्रजनन – श्वानों का संसर्ग, जो एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित नहीं है; और

(ii) श्रेणी प्रजनन – श्वानों के मध्य संसर्ग, जो एक दूसरे से सीमांत रूप से संबंधित हों और ऐसे मामले में श्वानों को उनके विशेष गुण के लिए चुना जाता है ।

(3) निम्नलिखित दो संसर्ग तकनीक की अनुज्ञात नहीं है और इन नियमों के अधीन प्रतिबंधित किया गया है –

(i) अंतः प्रजनन – श्वानों के मध्य संसर्ग, जो संबंधित नहीं है । इसका तात्पर्य यह है कि दोनों ओर से प्रजनक या प्रजनिका में से कम से कम कोई एक पूर्वज हो । प्रजनन में प्रथम चार पीढ़ियों के भीतर सीधी और पार्श्व पंक्ति में द्वितीय से चतुर्थ श्रेणी के बीच संबंधित हों जैसे चाचा और भतीजी, भतीजा और चाची, चचेरा भाई बहन, पितामह पितामही से पौत्र पौत्री तक ।

(ii) सगोत्र प्रजनन – माता पिता और बच्चे या भाई और बहन के बीच संसर्ग, जैसे प्रथम श्रेणी के संबंधी । सगोत्र प्रजनन साथ ही साथ सतत् अंतः प्रजनन और श्रेणी प्रजनन जोखिमयुक्त है, जो वंशानुगत रोगों के खतरे को बढ़ाता है ।

(4) मादा श्वान आठ वर्ष की उम्र के पश्चात् संसर्ग नहीं करेगी ।

(5) प्रत्येक प्रजनक, पशु चिकित्सक द्वारा प्रमाणित मादा श्वान या प्रजनन उम्र का प्रमाण देगा ।

(6) प्रत्येक प्रजनक एक बार के पिल्ले का एक पूर्ण अभिलेख रखेगा जो श्वान या मादा श्वान से पूर्वतः उत्पादित और एक बार के पिल्ले से संबंधित अन्य विवरण होगा ।

(7) प्रत्येक प्रजनन करने वाली मादा श्वान को संसर्ग से पूर्व उसके टीकाकरण वर्धकों और कृमिरहित करके अद्यतन रखा जाएगा ।

(8) पिल्ले का पूंछ काटना, कान काटना या किसी अन्य प्रकार का अंग-विच्छेद और कृत्रिम साधनों द्वारा किसी प्रकटन का परिवर्तन कठोरता से निषिद्ध होगा ।

(9) श्वानों या अनोखे दिखने वाले नस्लों का प्रजनन सर्वदा प्रतिषिद्ध होगा ।

भाग 3

स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं

7. स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं – प्रत्येक श्वान को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में रखा जाएगा और सभी सामाजिक अवसरों, टीकाकरण और स्वच्छता जो अधिकतम मानसिक और शारीरिक कल्याण के लिए अधिकतम आवश्यक हो, उपलब्ध किया जाएगा।

8. पशु चिकित्सा देखरेख – (1) प्रत्येक प्रजनक के पास परामर्शी पशु चिकित्सा व्यवसायी की सेवाएं आपात चिकित्सा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध होंगी और उसके भ्रमणों के अभिलेखों को लिखित में रखा जाएगा।

(2) परामर्शी पशु चिकित्सा व्यवसायी आवधिक रूप से स्थापन का नियमित अंतरालों पर भ्रमण करेगा और स्थापन में प्रत्येक स्वान की चिकित्सा जांच प्रत्येक मास कम से कम एक बार की जाएगी और प्रजनिक द्वारा उसका अभिलेख रखा जाएगा।

(3) 8 सप्ताह से अधिक आयु के या मुक्त किए गए या किसी चिकित्सा प्रक्रिया द्वारा उपचार किए गए सभी जानवरों का, चाहे इनमें से जो भी पहले हुआ हो, व्यष्टिक स्वास्थ्य अभिलेख रखा जाएगा।

(4) दिए गए बच्चों के स्वास्थ्य अभिलेखों को बच्चों के लिए तब रखा जाएगा जब बच्चों के जोड़ों का उपचार समान औषधियों या प्रक्रिया से किया जाता है और स्वास्थ्य अभिलेख (या उसकी प्रति) स्वामित्व अंतरण पर सभी जानवरों के साथ होगी।

(5) प्रत्येक श्वान के स्वास्थ्य और उसकी देखभाल का पता लगाने के लिए प्रत्येक प्रजनक यह सुनिश्चित करेगा कि दैनिक परीक्षण किसी पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा या किसी परा-पशु चिकित्सक द्वारा किया जाए यदि प्रत्यक्ष और निरंतर संचार का एक तंत्र स्थापित किया जाता है तो पशु स्वास्थ्य, व्यवहार और देखभाल की समस्याओं पर समयबद्ध और सटीक सूचना का सलाहकार पशु चिकित्सा व्यवसायी को संप्रेषण किया जा सके।

(6) पशु देख-रेख में सम्मिलित कार्मिकों के पर्याप्त प्रशिक्षण और मार्ग दर्शन के लिए जिसके अंतर्गत प्राणियों का दैनिक संप्रेक्षक है की अपेक्षा हो तो प्रजनक केवल ऐसे व्यक्तियों को नियोजित करेगा जो इन नियमों द्वारा अपेक्षित स्तर पर कार्य कर सकें।

(7) यदि पशु चिकित्सा व्यवसायी स्थापन को भ्रमण के प्रक्रम के दौरान या राज्य बोर्ड द्वारा उस ओर उसका ध्यान आकृष्ट किए जाने पर यह पाता है कि प्रजनक श्वान से कोई पशु संक्रामक संचारी या संसर्गज रोग से पीड़ित है या वह किसी रोग से पीड़ित है तो पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उस स्थापन को तब तक एक संगरोध जारी किया जा सकेगा जब तक कि पशु-

(i) ठीक नहीं हो जाते हैं और रोग को पारेषित करने के लिए सक्षम नहीं रहते हैं ; या

(ii) उन्हें अलग नहीं कर दिया जाता है ; या

(iii) उनकी जांच नहीं कर दी जाती है, टीकाकरण नहीं किया जाता है या अन्यथा उपचार नहीं किया जाता है ; या

(iv) किसी पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा मानवीय रूप से उनकी मृत्यु कारित नहीं की जाती है और समुचित रूप से उनका निपटान नहीं कर दिया जाता है।

(8) किसी पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जारी संगरोध तब तक प्रभावी रहेगा जब तक पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा लिखित में निर्मुक्त नहीं कर दिया जाता और ऐसे संगरोध के विषय में जारी सूचना पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा राज्य सरकार के पशु पालन विभाग और राज्य बोर्ड को लिखित में प्रदान नहीं कर दी जाती है।

(9) सभी पिल्लों का टीकाकरण किया जाएगा जो सात-आठ सप्ताह की आयु पर प्रारंभ किया जा सकता है और जिसे प्रायिक रूप से अठारह सप्ताह की आयु तक पूरा कर लिया जाता है।

(10) श्वान की आनुवांशिक खामियों के लिए जांच की जाएगी जिसके अंतर्गत हिप डिस्कलेशिया, प्रोगेसिव रेटिनल एट्रोफी, रात्रिअंधता, हाइपोथाइरोइडिज्म, एंट्रोपियोन, एक्ट्रोपियोन, ओवरशोट, अंडरशोट जॉ (जब कृंतक एक-दूसरे को नहीं छूते या फंसते हैं), राई माउथ, दो या उससे अधिक दांतों का न होना, एकतरफा क्रिप्टोरकिड या पूर्णतया क्रिप्टोरकिड मेल्स

9. सहजमृत्यु— श्वानों को सहज मृत्यु केवल इस कारण से नहीं दी जाएगी कि वे अब प्रजनन नहीं कर सकते या उनका विक्रय नहीं किया जा सकता और इसलिए वाणिज्यिक रूप से वे लाभप्रद नहीं रहे हैं और घातक रूप से बीमार या मरणांत रोग से ग्रस्त पशुओं संबंधी सभी सहज मृत्यु, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् या राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद् के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सक द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा अनुमोदित रीति और पद्धति के माध्यम से कारित की जाएगी तथा ऐसे सभी पशुओं, जिन्हें सहज मृत्यु दी गई है, शव परीक्षण रिपोर्ट सहित अभिलेख रखे जाएंगे तथा सभी कंकालों को, जिनके अंतर्गत प्राकृतिक रूप से मृत हुए पशुओं के कंकाल भी हैं, भस्म किया जाना चाहिए और उनका विक्रय नहीं किया जाएगा।

भाग 4

कुत्तों के आवास के लिए आवास सुविधा और रीति

10. संरचना और संनिर्माण- (1) श्वानों के लिए आवास सुविधाएं संरचनात्मक रूप से ठोस होंगी और पशुओं को सुरक्षित रूप से रखने के लिए अच्छी मरम्मत में रखी जाएंगी और उसमें अन्य पशुओं का प्रवेश निर्बंधित होगा ।

(2) आवास सुविधाओं के भीतर के क्षेत्र को स्वच्छ और खलबली से मुक्त रखा जाएगा, जिसके अंतर्गत उपस्कर, फर्नीचर और भंडारण सामग्री भी हैं, किन्तु उसके अंतर्गत क्षेत्र और समुचित पशुपालन पद्धति के लिए आवश्यक फिक्चर या उपस्कर को साफ करने के लिए वास्तविक रूप से प्रयुक्त और आवश्यक सामग्री हो सकेगी ।

(3) आवास सुविधाओं को प्रकृति के अनुसार किसी अन्य कारबार से पृथक् रखा जाएगा ।

(4) आवास सुविधा में सभी सतह और अन्य सभी निर्माण ऐसे होंगे, जिनमें वे सहज रूप से साफ और स्वच्छ रहें या जब फटे या मैले होने पर उन्हें हटा दिया गया हो या बदल दिया गया हो ।

(5) वहां पर ऐसे कांटेदार कोर या नुकीले नोक नहीं होंगे, जो पशुओं को क्षति पहुंचाए ।

(6) अंतरंग आवास सुविधाओं की छतें नमीं से अप्रभावित होंगी ।

11. भंडारण सुविधाएं - (1) खाद्य और शय्या की पूर्ति को पशु क्षेत्र से बाहर और ऐसी रीति में भंडारित किया जाएगा, जो पूर्ति को रद्दी से संरक्षित रखे ।

(2) पूर्ति को फर्श और दीवार से अलग, किसी पूर्ति को उनके नीचे और आसपास से स्वच्छ रखने के लिए, भंडारित किया जाएगा ।

(3) प्रशीतन की अपेक्षा वाले खाद्य का भंडार तदनुसार किया जाना चाहिए और सभी खाद्यों का ऐसी रीति में भंडार किया जाना चाहिए जिससे उसकी पोषक उपयोगिता को संदूषण और क्षय से रोका जा सके ।

(4) खाद्य और शय्या की सभी खुली पूर्तियों को कसकर फिट किए गए ढक्कनों वाले रिसाव अभेद्य पात्रों में, जिससे उसको संदूषण और रद्दी से रोका जा सके और केवल ऐसे खाद्य और शय्या को ही पशु क्षेत्रों में रखा जाए, जिसका उसी समय उपयोग किया जाता हो ।

12. सफाई- (1) ऐसी कठोर सतहों की, जिसके संपर्क में श्वान आते हैं, दैनिक स्थल सफाई और स्वच्छता की जाएगी ।

(2) वहां मल-मूत्र का कोई संचयन नहीं होगा और रेत, बजरी, घास या अन्य समान सामग्री से बनी फर्शों को पर्याप्त बारम्बारता के साथ खुरचा हुआ और स्थल-साफ रखा जाएगा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पशु मल-मूत्र के संपर्क में आने से बचने के लिए मुक्त हैं ।

13. जल निकास और अपशिष्ट व्ययन- (1) नियमित अपशिष्ट व्ययन, पशु और खाद्य अपशिष्ट, त्यक्त शय्या, मलबा, कूड़ा, जल, अन्य तरल और अपशिष्टों को हटाने और व्ययन की व्यवस्था की जाएगी ।

(2) आवास सुविधाएं ऐसी व्ययन सुविधाओं और जल निकास प्रणाली से सुसज्जित होगी जो पशु अपशिष्ट और जल के शीघ्र समाप्ति को सुनिश्चित करे और यदि बंद जल निकास प्रणाली का उपयोग किया जाता है तो वह जाल से सुसज्जित होगी, जो गैस मल के फर्श पर वापसी प्रवाह को रोक दे ।

(3) पशु बाड़ों और पार्श्वस्थ क्षेत्रों में जल के स्थायी कीचड़ की जल निकासी की जाएगी और पोछा जाएगा, जिससे पशु शुष्क रह सकें ।

(4) आवास सुविधाओं, खाद्य भंडारण और खाद्य निर्मित क्षेत्रों में कचरे के पात्र, रिसाव अभेद्य होंगे और सभी समयों पर कसकर फिट किए हुए ढक्कनों के साथ रखे जाएंगे ।

14. जल और विद्युत – आवास सुविधा में विश्वसनीय और पर्याप्त विद्युत पूर्ति जिसके अंतर्गत विद्युतबंदी समय की दशा में आपातोपयोगी व्यवस्था भी है और पशुओं की पेय आवश्यकताओं, सफाई और अन्य पशुपालन की अपेक्षाओं को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त चालू पेयजल होगा ।

15. परिवेशी और सुखद तापमान- (1) पशुओं के लिए अंतरंग आवास सुविधा के भीतर तापमान इस प्रकार परिवेशी और सुखद होगा, जो उसमें रखे गए श्वानों की नस्ल पर निर्भर है ।

(2) तापमान ऐसा होगा जो उनके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए व्यवस्थित हो ।

16. संवातन – (1) श्वानों वाली अंतरंग आवास सुविधाओं में खिड़कियों, द्वारों, हवाकश या वातानुकूलन के साधनों द्वारा पर्याप्त संवातन सुनिश्चित किया जा सकेगा ।

(2) हवा का फैलाव पंखों, धोकनियों और वातानुकूलन द्वारा किया जाएगा, जिससे कूड़ा-करकट, गंध और नमी संघनन को कम किया जा सके ।

17. प्रकाश - (1) पशुओं के लिए अंतरंग आवास सुविधा, नित्य निरीक्षण और सुविधा की सफाई तथा पशुओं की देखभाल करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रकाशित होंगी ।

(2) प्रारंभिक बाड़े इस प्रकार रखे जाएंगे, जिससे पशुओं की अत्यधिक प्रकाश से संरक्षा की जा सके ।

18. रसायन – (1) सामान्य पशुपालन पद्धति, सफाई, विसंक्रामण और इसी प्रकार के लिए प्रयुक्त रसायन, जो पशुओं के विषैले हों, को खाद्य भंडारण या खाद्य निर्मिति क्षेत्रों में भंडारित नहीं किया जाएगा किन्तु उन्हें पशु क्षेत्रों में पार्श्वस्थ कमरों में या सुरक्षित पेटिकाओं में भंडारित किया जा सकेगा ।

(2) सभी रसायनों पर स्पष्ट लेबल लगा होगा ।

19. ओषधि- (1) सभी ओषधियों को साफ, धूल निर्बंधित पात्रों में ठीक प्रकार से फिट किए गए द्वारों सहित या ठीक प्रकार से बंद किए गए ढक्कनों सहित अन्य उपयुक्त पात्रों भंडारित किया जाएगा ।

(2) सभी ओषधियों पर स्पष्ट चिह्नांकन या लेबल लगा होगा ।

(3) विनिर्माता का लेबल, जिसके अंतर्गत समाप्ति की तारीख भी है, को हटाया या विरुपित नहीं किया जाएगा ।

(4) ऐसी ओषधियों को ही, जैसे डुबाने और साफ करने वाली और व्यय, जिन पर ऊपरी उपयोग का चिह्न लगा है, उसी पेटिका में भंडारित किया जा सकेगा किन्तु उन्हें प्रकृति के अनुसार अन्य ओषधियों से पृथक् रखा जाएगा ।

20. अग्नि का पता लगाना और अग्निशामक - सभी अंतरंग आवास सुविधाएं और छतदार आवास सुविधाएं, अंतरंग भागों में समुचित रूप से अनुरक्षित, धूम्र या ताप खोज युक्तियों और अग्निशामकों से सुसज्जित होंगी ।

21. बहिरंग आवास सुविधाएं – (1) श्वानों के निम्नलिखित प्रवर्गों को तब तक बहिरंग सुविधाओं में नहीं रखा जाएगा, जब तक उस पद्धति को उनकी देखभाल करने वाले पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा विनिर्दिष्टतया लिखित में अनुमोदित नहीं कर दिया गया हो-

(i) ऐसे श्वान, जो प्रसंगत क्षेत्र में विद्यमान तापमान के अभ्यस्त नहीं हैं ;

(ii) श्वान की ऐसी नस्ल, जो प्रसंगत क्षेत्र में विद्यमान तापमान को सहन नहीं कर सकते, जैसे उच्च तापमान स्थानों में लंबे बालों वाली नस्ले ; और

(iii) बीमारी, अंग शैथल्य, वृद्ध या अल्पवय पशु ।

(2) श्वानों के लिए बहिरंग सुविधाओं के अंतर्गत छतवाली एक या अधिक संरचनाएं हैं, जैसे एक या अधिक आश्रय, जिन तक प्रत्येक बहिरंग सुविधा प्रत्येक पशु की पहुंच हो और जो संरचना के भीतर प्रत्येक पशु को सामान्य रीति में बैठने, खड़ा होने और लेटने तथा मुक्त रूप से घूमने के लिए पर्याप्त हो और इसके अतिरिक्त सभी पशुओं को एक साथ रखने और उन्हें सूर्य की प्रत्यक्ष किरणों से संरक्षित रखने के लिए पर्याप्त रूप से बृहत्त छाया के एक या अधिक पृथक् बाहरी क्षेत्रों की व्यवस्था की जाएगी ।

(3) पशुओं के लिए बहिरंग सुविधाओं के आश्रयों में छत, चार ढाल और फर्श होगी तथा-

(i) पशु को ताप और शीत से पर्याप्त संरक्षण और आश्रय प्रदान किया जाएगा ;

(ii) पशु को सूर्य की प्रत्यक्ष किरणों से तथा हवा, वर्षा, बर्फ या अन्य वृष्टिपात से संरक्षण प्रदान किया जाएगा ।

(4) पशुओं के लिए प्रारंभिक बाड़ों में निम्नलिखित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा किया जाएगा--

(क) प्रारंभिक बाड़े उपयुक्त सामग्री से संनिर्मित होंगे और संरचनात्मक रूप से ठोस होंगे ;

(ख) उन्हें अच्छी मरम्मत में रखा जाएगा ;

(ग) उनमें कोई नुकीले या कोर नोक नहीं होंगे, जिससे पशु को क्षति हो सके ;

(घ) वे ऐसे होंगे, जो पशु को सुरक्षित रखें और बाड़े में अन्य पशुओं के प्रवेश को रोक ;

(ङ) पशु को शुष्क और साफ रहने में समर्थ बनाए ;

(च) अत्यधिक ताप और मौसम स्थिति से आश्रय और संरक्षण प्रदान करे, जो पशु के लिए असुविधाजनक या परिसंकटमय हो ;

(छ) प्रारंभिक बाड़े में एक ही समय रखे गए सभी पशुओं के आश्रय के लिए पर्याप्त छाया प्रदान करे ;

(ज) सभी पशुओं को स्वच्छ खाद्य और जल तक सरल और सुविधाजनक पहुंच प्रदान करे ;

(झ) ऐसी सभी सतह, जिनके संपर्क में पशु आए, सहज रूप से साफ और स्वच्छ हो या फटे या मैले होने पर बदली जाए ;

(ञ) उनमें फर्श ऐसी रीति में संनिर्मित हों, जो पशु के पैर और टांग को क्षतिग्रस्त होने से संरक्षण करे ;

(ट) उसमें प्रत्येक पशु को सुखद, सामान्य स्थिति में मुक्त रूप से घूमने, खड़ा होने, बैठने, लेटने के लिए तथा सामान्य रीति में चलने के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था हो ;

(5) प्रारंभिक बाड़े में रखे गए प्रत्येक श्वान (दूध छुड़ाई पिल्ले सहित) को फर्श स्थान की न्यूनतम मात्रा दी जाएगी, जिसकी गणना निम्न प्रकार से है-

(क) बाड़े की लंबाई : श्वान की लंबाई से चार गुना, जो उसकी नाक के अग्र बिंदु से उसकी पूंछ के मूल तक मापी जाए ; और

(ख) बाड़े की चौड़ाई : श्वान की लंबाई से दो गुना, जो उसकी नाक के अग्र बिंदु से उसकी पूंछ के मूल तक मापी जाए।

(6) पोषणार्थ पिल्लों वाली प्रत्येक कुतिया को अतिरिक्त फर्श स्थान दिया जाएगा, जो उसकी नस्ल तथा व्यवहार लक्षण पर आधारित और परिचर्या करने वाले पशु चिकित्सक द्वारा यथा अवधारित साधारणतया स्वीकृत पशुपालन पद्धतियों के अनुसार हो।

(7) आरंभिक बाड़े की आंतरिक ऊंचाई बाड़े में सबसे लंबे कुत्ते के सिर से कम से कम छह इंच होगी, जब वह सामान्य स्थिति में खड़ा हो।

(8) पशुओं को अल्प समयावधि के लिए रखने के लिए प्रयुक्त पिंजरे या क्रेट पशु को सामान्य रीति में खड़े होने, बैठने, लेटने और घूमने के लिए पर्याप्त रूप से वृहत होंगे।

(9) श्वानों को रात्रि के सिवाय जब देखभाल करने वाला निवृत्त होता है या जब चिकित्सा कारणों के लिए आवश्यक हो, पिंजरे में नहीं रखा जाएगा।

22. श्वान को खूंटे से बांधना- (1) श्वान केवल बाह्य आवास सुविधा में खूंटे से बांधे जा सकते हैं यदि वे इन नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और केवल तब जब खूंटे इस पैरा की अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

(2) खूंटे श्वान के शरणगृह ढांचे के सामने या ढांचे सामने या शरणगृह के सामने खंभे से लगे होने चाहिए और श्वान की लंबाई जो नाक के सिरे से इसकी पूंछ के आधार तक नापी जाएगी, से कम से कम तीन गुना होने चाहिए।

(3) खूंटे से श्वान की शरणगृह और खाने और जल पात्र तक आसान पहुंच बनी रहनी चाहिए।

(4) खूंटा श्वान के आकार के लिए प्रयुक्त सामान्य प्रकार और लंबाई का होगा तथा उचित रूप से लगे पट्टे द्वारा श्वान बंधा होना चाहिए जो श्वान को अपघात या उपहृति कारित करे।

(5) पट्टा तार, सपाट चेन या पैने सिरे वाली चैन या जंग लगी या बिना समान जोड़े वाली जैसी सामग्री बनी होना प्रतिषिद्ध है।

(6) खूंटे इस प्रकार लगे होने चाहिए कि श्वान बाह्य आवास सुविधा में अन्य वस्तुओं या अन्य श्वानों के शारीरिक संपर्क में आकर खतरे में न पड़ें और खूंटे से पूरी दूरी तक घूम सकें।

(7) परिमीतिय दीवाल इतनी ऊंचाई की होनी चाहिए कि अवांछनीय बाहरी पशु श्वान रखने के क्षेत्र जहां श्वान खूंटे पर हैं, से बाहर रहें।

(8) दीवार ऐसी बनाई जाए कि यह समान या बड़े आकार के अन्य श्वान के अंदर या नीचे से बाहर जाने से श्वानों को बचाए।

23. संगति – (1) प्रेक्षण द्वारा यथाअवधारित उसी प्राथमिक बाड़े में रखे गए सभी श्वान संगत होंगे।

(2) उसी प्राथमिक बाड़े में 12 से अनधिक वयस्क श्वान नहीं रखे जाएंगे।

(3) प्रजनन के लिए के सिवाए, उत्तेजित मादा श्वान लैंगिक रुप से वयस्क नर श्वानों के साथ उसी प्राथमिक बाड़े में नहीं रखे जाएंगे।

(4) प्रजनन क्लॉनीज़ में जब रखी जाती है, के सिवाय, झोल सहित मादा श्वान अन्य वयस्क श्वानों के साथ उसी प्राथमिक बाड़े में नहीं रखी जाएगी ; चार मास से कम आयु के पिल्लों को, उनकी मादा या पोषक मादा से अन्यथा उसी बाड़े में वयस्क श्वानों के साथ नहीं रखा जाएगा।

(5) दूषित और आक्रामक प्रकृति के श्वानों को अन्य श्वानों से अलग रखा जाएगा और शीतलन को ऐसे श्वानों के प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

(6) ऐसे श्वान जिनको संक्रामक रोग हैं या होने की संभावना है, स्वस्थ पशुओं से अलग रखे जाएंगे।

(7) जब पशुओं का समग्र समूह या कक्ष किसी संक्रामक या सांसर्गिक कारक के संपर्क में आते हैं तो समूह को निदान, उपचार और नियंत्रण के दौरान उसी दशा में रखा जाएगा।

24. श्वानों के लिए कसरत और सामाजीकरण – (1) वाणिज्यिक श्वानघर, वाणिज्यिक प्रजनक, व्यापारी, अन्य व्यौहारी और प्रदर्शक, श्वानों को कसरत कराने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु किसी समुचित योजना का विकास, प्रलेखन और अनुसरण करेंगे।

(2) योजना को प्रजनक और देखरेख करने वाले पशु-चिकित्सक द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया जाएगा, और इसके अंतर्गत कसरत के लिए अवसर प्रदान करने के लिए अनुसरित की जाने वाली लिखित मानक प्रक्रियाएं हैं।

(3) राज्य बोर्ड को अनुरोध पर, योजना भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) योजना, कम से कम निम्नलिखित में से प्रत्येक का अनुपालन करेगी –

(क) झोल सहित मादा श्वान के सिवाय, किसी पशु आश्रय, बोर्डिंग श्वानघर, वाणिज्यिक श्वान घर, वाणिज्यिक प्रजनक, व्यापारी, अन्य व्यौहारी, प्रदर्शक या अन्य अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आश्रित, रखे गए या अनुरक्षित 12 सप्ताह से अधिक की उम्र के श्वान नियमित रुप से कसरत के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा; और

(ख) कसरत के लिए अवसर की बारंबारता, पद्धति और अवधि परामर्शी पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अवधारित की जाएगी।

(5) प्रजनक, अपनी योजना को विकसित करने में, मनुष्यों के साथ सकारात्मक शारीरिक संपर्क, जो खेल या समान गतिविधियों के माध्यम से कसरत को प्रोत्साहित करे, प्रदान करने पर विचार करेगा और यदि कोई उत्तर अन्य श्वान के साथ संवेदी संपर्क के बिना किसी सुविधा में आश्रित, रखा या अनुरक्षित किया जाता है, तो उसे कम से कम दिन में एक बार मनुष्यों के साथ सकारात्मक शारीरिक संपर्क प्रदान करने की व्यवस्था करेगा।

(6) कसरत के लिए अवसर कई प्रकार से प्रदान किया जा सकेगा, जिसके अंतर्गत –

(क) पिंजरों, बाड़ों या घेरों में सामूहिक आवास, जो यदि इस नियम की न्यूनतम फर्श स्थान अपेक्षाओं के अधीन पृथक्कत: रखे जाते हैं तो प्रत्येक श्वान के लिए अपेक्षित स्थान के कम से कम एक सौ प्रतिशत प्रदान करते हैं;

(ख) देखभाल करने वाले पशु चिकित्सक द्वारा विहित बारंबारता और अवधि पर घेरे या खुले क्षेत्र के लिए पहुंच की व्यवस्था करना;

(ग) या तो किसी बाड़ लगे क्षेत्र में या अन्य किनारे पर किसी व्यक्ति के साथ पट्टे पर पर्याप्त कसरत;

(घ) प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट दो बार कसरत करना;

(ङ) वयस्कों के लिए प्रतिदिन कम से कम तीन घंटे और चार मास से कम उम्र के पिल्लों के लिए प्रतिदिन 5 घंटों के बराबर उपयुक्त अंतराल पर लोगों के साथ सामाजीकरण करना; और

(च) अन्य समान गतिविधियां

(7) प्रत्येक स्थापन केयरटेकरों, जो इन कार्यों को पूरा करता हो और समय, जिस पर प्रत्येक ऐसा कर्ता हो, के नाम प्रलेखित करते हुए जांच सूची रखेगा तथा जांच सूची निरीक्षणों के दौरान या जब मांगी जाए, बोर्ड को उपलब्ध कराई जाएगी।

(8) प्रत्येक स्थापन सुनिश्चित करेगा कि बलपूर्वक कसरत पद्धतियां या युक्तियां जैसे तैरना, ट्रैड मिल्स या पान गोष्ठी –प्रकार युक्तियां का उपयोग किया जाए:

परंतु यदि पशु चिकित्सा व्यवसायी की राय में कतिपय श्वानों के लिए उनके स्वास्थ्य, स्थिति या उनकी भलाई के कारण कसरत करना अनुचित है तो प्रजनक को केवल उन विशिष्ट श्वानों के लिए इस पैरे में अपेक्षाओं को पूरा करने से छूट दी जा सकेगी।

25. भोजन – (1) पशुओं को विहित मानकों के अनुसार भोजन कराया जाएगा।

(2) भोजन, पशु की सामान्य स्थिति और भार को बनाए रखने के लिए असंदूषित, स्वास्थ्यकर, स्वाद और पर्याप्त मात्रा और पोष्टिक गुणों वाला होगा।

(3) डाइट प्रत्येक पशु की आयु और स्थिति के लिए समुचित होगी।

(4) पशुओं के उपयोग में लाए जाने वाले भोजन पात्र सभी पशुओं की सुगम पहुंच के भीतर होंगे और ऐसे अवस्थित किए जाएंगे ताकि मल मूत्र द्वारा न्यूनतम संदूषण को वर्षा से संरक्षित रहे। भोजन पात्र टिकाऊ सामग्री, जिसे आसानी से साफ और स्वच्छ किया जा सके, का बनाया जाएगा और साफ रखा जाएगा।

26. सफाई, स्वच्छता और गृह व्यवस्था – (1) मल और भोजन अपशिष्ट के अत्यधिक संचयन का निवारण करने के लिए, प्राथमिक बाड़ों में रखे गए पशुओं को गंदगी से निवारित करने के लिए रोग संकट, कीट और दुर्गंध कम करने के लिए प्राथमिक बाड़ों से मलमूत्र और भोजन अपशिष्ट प्रतिदिन तथा प्राथमिक बाड़ों के नीचे से जब जब आवश्यक हो, हटाए जाएंगे।

(2) जब प्राथमिक बाड़े को साफ करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है, चाहे होजिंग, फलशिंग या अन्य पद्धतियों द्वारा, तो जब तक बाड़ा पर्याप्त रुप से बड़ा न हो ताकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि पशुओं को इस प्रक्रिया में नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, गीला या परेशान नहीं किया जाता, पशुओं को हटाया जाएगा।

(3) प्राथमिक बाड़े को समीपवर्ती क्षेत्रों से ठहरा हुआ जल हटाया जाएगा।

(4) अन्य प्राथमिक बाड़ों में पशु सफाई के दौरान जल और अन्य अपशिष्टों से संदूषित होने से संरक्षित किए जाएंगे।

(5) प्राथमिक बाड़ों के सख्त तल और भोजन और जल पात्र समुचित प्रक्षालक घोलों के साथ धोकर और रोगाणुनाशकों के उपयोग से साफ और स्वच्छ किए जाएंगे।

(6) ऐसी सामग्री का उपयोग करने वाले बाड़े, घेरे और बाह्य आवास क्षेत्र जो रोड़ी, रेत, घास, मिट्टी या अवशोषित क्यारी जैसे पूर्ववर्ती कथित पद्धती का उपयोग करते हुए साफ और स्वच्छ नहीं किए जा सकते। दुर्गंध, रोग संकट और कीटों को निवारित करने के लिए यथाआवश्यक संदूषित सामग्री को हटाते हुए साफ और स्वच्छ किए जाएंगे।

27. परिसर के लिए गृह व्यवस्था – किसी स्थापन में जहां आवासीय सुविधा अवस्थित है, जिसके अंतर्गत भवन और आसपास के मैदान है, साफ और अच्छी मरम्मत में रखे जाएंगे तथा कूड़ा कचरा, अपशिष्ट उत्पादों और फैंकी हुई वस्तुओं और खरपतवारों, घास और झाड़ियों के संचयन से मुक्त रखे जाएंगे और इस प्रकार नियंत्रित किए जाएंगे ताकि सुविधा की सफाई, नियंत्रण और पिस्सू और किलनियों से निवारित करना सुकर बनाया जा सके तथा पशुओं के स्वास्थ्य और कल्याण का संरक्षण किया जा सके तथा देखभाल के समय नियमित डी-टिकिंग करवाई जाएगी।

28. श्वानों का वार्षिक टीकाकरण – प्रत्येक प्रजनन स्थापन में श्वानों का रेबीज़ (और अधिमानत: केनाइन डिस्टैंपर, पैरवो-वायरस, लैप्टोस्प्राइरोसिस और वायरल हैपाटाइटिस के विरुद्ध) के विरुद्ध प्रतिवर्ष टीकाकरण किया जाएगा।

29. कर्मचारिगण – (1) प्रत्येक प्रजनक के पास इन नियमों द्वारा अपेक्षित पशुपालन व्यवहार और देखभाल के स्तर को क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त कर्मचारिगण होंगे।

(2) कर्मचारिगण जो पशुओं के लिए पशुपालन और देखभाल या नियंत्रण की व्यवस्था करते हैं, उचित प्रकार से प्रशिक्षित होंगे तथा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उनका पर्यवेक्षण किया जाएगा जिसके पास ऐसा करने के लिए पशुपालन और श्वानों की देखभाल में पर्याप्त ज्ञान, पृष्ठभूमि और अनुभव हो।

30. श्वानों की पहचान – प्रत्येक प्रजनक सुनिश्चित करेगा कि (क) प्रत्येक श्वान, श्वानों के कालर में चिपकाए सरकारी टैग से पहचाना जाता है;

(ख) सभी प्रजनन पशुओं और तीन मास से अधिक के पिल्लों की पहचान माइक्रो चिपिंग के माध्यम से किसी पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा की जाएगी।

(ग) टैग क्रमानुसार संख्यांकित और अभिलेख के अनुसार संदर्भित किए जाते हैं, जो श्वान के स्रोत, सभी चिकित्सा उपचार या प्रक्रियाएं जिनसे वे गुजरे हों और पशु के स्वभाव पूरी तरह और सही प्रकार से पहचान करते हों; और

(घ) उसी प्रयोजन के लिए माइक्रो चिप्स को क्रमसंख्यांक आबंटित की जाती हैं और टैग संख्या और माइक्रो चिप संख्या के अभिलेख का उपयोग श्वान की पहचान, प्रत्येक ऐसे श्वान के साथ जो स्थापन से विक्रीत किया जाता है या अन्यथा बाहर ले जाया जाता है, के लिए किया जाता है।

[फा. सं. 1/1/2010-एडब्लूडी (पार्ट)]

रवि शंकर प्रसाद, संयुक्त सचिव